

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो-38/2025- 01 अजट  
प्रेषक,

पटना, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०  
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया/  
बेतिया अंचल, बेतिया/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/  
समस्तीपुर/मोतिहारी/सीवान।

विषय :

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-42 दिनांक-13.01.2025 के आलोक में ईख मूल्य की दर में 10 रु०/क्विंटल की दर में वृद्धि की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल मो० 6,34,91,340.00 (छः करोड़ चौतीस लाख इकानवे हजार तीन सौ चालीस) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-527 स्वी०/सी.सी. दिनांक-12.12.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रु० व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि अन्तर्गत मो० 31,50,02,109.00 (इकतीस करोड़ पचास लाख दो हजार एक सौ नौ) रुपये (आवंटनादेश संख्या-15 बजट दिनांक-07.01.2026) एवं मो० 29,44,07,423.00 (उनतीस करोड़ चौवालीस लाख सात हजार चार सौ तेईस) रुपये (आवंटनादेश संख्या-18 बजट दिनांक-05.02.2026) अर्थात् कुल 60,94,09,523.00 (साठ करोड़ चौरानवे लाख नौ हजार पाँच सौ तेईस) रुपये का आवंटन आदेश निर्गत किया गया था।

2. आवंटनादेश संख्या-18 बजट दिनांक-05.02.2026 द्वारा ईख पदाधिकारी, गोपालगंज, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर को आवंटित राशि की निकासी अपरिहार्य कारणवश नहीं हो सकी। पेराई सत्र 2025-26 के लिए सभी चीनी मिलों द्वारा पेराई का कार्य सम्पन्न कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक- 662/ई०का० दिनांक-02.02.2026 द्वारा सभी संबंधित ईख पदाधिकारियों से पेराई सत्र 2025-26 के लिए 10 रु०/क्विंटल की दर से अतिरिक्त ईख मूल्य भुगतान हेतु आवंटन की आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी।

ईख पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष स्वीकृत राशि अन्तर्गत मो० 6,34,91,340.00 (छः करोड़ चौतीस लाख इकानवे हजार तीन सौ चालीस) रुपये मात्र का आवंटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची परिशिष्ट-1) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे। वित्त विभाग द्वारा 33 प्रतिशत राशि व्यय के बंधेज के कारण ईख पदाधिकारी, गोपालगंज को वांछित स्वीकृत राशि में से मो० 23,96,181.00 रुपये कम आवंटित किया जा रहा है। बंधेज समाप्त होने के उपरान्त शेष राशि का आवंटन किया जायेगा।

3. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल आवंटित राशि मो० 6,34,91,340.00 (छः करोड़ चौतीस लाख इकानवे हजार तीन सौ चालीस) रूपये मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45-2852082010103 से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या-527 स्वी०/सी०सी० दिनांक-12.12.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-38 स्वी०/सी०सी० दिनांक-17.04.2026 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्रित पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-38/2025- 01 अजट  
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, बेटिया/ गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/ समस्तीपुर/ मोतिहारी/  
सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-38/2025- 01 अजट

पटना, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि-महालेखाकर, बिहार, पटना (विवरणी सहित)/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-38/2025- 01 अजट

पटना, दिनांक- 21 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

**परिशिष्ट-I**

स्वीकृत्यादेश संख्या-527 स्वी०/सी.सी. दिनांक-12.12.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विपत्र कोड-45-2852082010103 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उनके सामने आवंटित राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी, की विवरणी।

क्र०	ईख पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	चीनी मिल का नाम	वर्तमान आवंटित राशि (रूपये में)	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5
1.	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया, प० चम्पारण	न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज, प० चम्पारण।	3051969.00	बेतिया, प० चम्पारण
2.	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया, प० चम्पारण	मंझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प० चम्पारण।	2163975.00	बेतिया, प० चम्पारण
3.		एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, प० चम्पारण।	465362.00	बेतिया, प० चम्पारण
4.		विष्णु सुगर्स मिल्स लि०, गोपालगंज	9563819.00	गोपालगंज
5.	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज	18045000.00	गोपालगंज
6.	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढी	13741215.00	मुजफ्फरपुर
7.	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई-हसनपुर सुगर मिल्स, हसनपुर, समस्तीपुर	16460000.00	समस्तीपुर
<b>कुल :-</b>			<b>6,34,91,340.00</b>	

(छ: करोड़ चौंतीस लाख इकानवे हजार तीन सौ चालीस) रूपये।

  
 ईखायुक्त, बिहार।